न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **436/2022**

उनवान

1–2 गोपाल, देवकिशन पिता उदा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
3– लादी देवी पत्नी उदा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
4– चन्ता पुत्री उदा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
5– भेरू पिता छोगा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– भेरू पिता मोती तेली निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
2– रामस्वरूप पिता लक्ष्मण जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
3– उदा पिता छगना जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
4– रामेश्वर पिता भैरू खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
5– गोदू पिता हरदेव जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
6– मदनदास पिता .... वैष्णव निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
7– भेरू पिता गीसा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
8– गोपाल पिता धन्ना जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
9– संतोषी पत्नी कल्याण जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
10– सुवालाल पिता रामरतन जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
11– गोपाल पिता .... बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
12– रामकुवार पिता बगतावत जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
13– शिवराज पिता बजरंग स्वामी निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
14– किशन लाल पिता रामनिवास गोयल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
15– छगना पिता हरनाथ जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
16– अर्जुन पिता हरदेव जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
17– केलाश पिता रामपाल जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री किशनलाल खटीक**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **20/06/2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम बड़ेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 808 रकबा 0.44 है0, 809 रकबा 2.03 है0, 990 रकबा 0.11 है0, 991 रकबा 0.29 है0, 153 रकबा 0.61 है0, 318 रकबा 0.47 है0, 511 रकबा 0.99 है0, 702 रकबा 0.03 है0, 762 रकबा 0.28 है0, 765 रकबा 0.61 है0, 805 रकबा 0.37 है0, 807 रकबा 1.01 है0, 973 रकबा 0.17 है0, 982 रकबा 0.16 है0** कुल किता **14** रकबा **7.66** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 **1 लगायत 5, 7 लगायत 10, 12, 13, 15 लगायत 17** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण **सं0 6, 11, 14** के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थीगण** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया जिस पर सुना

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा राज.

जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बड़ेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के **संयुक्त खातेदारी** में दर्ज होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **बड़ेसरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 702 रकबा 0.03 है0 किस्म गेमु. बाड़ा होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 13 रकबा 7.63 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 2000/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **20/06/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा